



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा



Office of the Executive Engineer, PWD, Almora Uttarakhand  
E-mail: eepdalmora@rediff.com

पत्रांक १४५१ / ७सी०  
सेवा में,

दिनांक २९/ नवम्बर २०२२

प्रभागीय वनाधिकारी,  
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,  
अल्मोड़ा।

**विषय:** जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत लमगड़ा विकासखण्ड के ग्राम तुलैड़ी से ग्राम पंचायत नैनी (जिफल्टा) कोकिलागाँव तक मोटर मार्ग हेतु ३.६० हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं० १५१०५८/२०२२)।

**संदर्भ:** आपका पत्रांक ४६३४/१२-१ दिनांक ०९.०६.२०२२  
महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सूचित की गयी आपत्तियों का निराकरण निम्नवत प्रेषित है:-

|    | आपत्ति                                                                                                                                                             | निराकरण                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | प्रस्ताव को बाइण्डिंग कर प्रेषित किया जाय।                                                                                                                         | प्रस्ताव बाइण्डिंग करा लिया गया है।                                                                                                       |
| 2. | भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-१ २ व ३ को प्रस्ताव में क्रमवार संलग्न करें।                                                                               | भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-१ २ व ३ को प्रस्ताव में क्रमवार संलग्न कर लिये गये हैं।                                           |
| 3. | प्रस्ताव में पृष्ठ सं० अंकित करते हुये विषय सूची संलग्न की जाय।                                                                                                    | प्रस्ताव में विषय सूची संलग्न कर ली गयी है।                                                                                               |
| 4. | प्रस्तावित मोटर मार्ग किस मुख्य मार्ग से जोड़ा गया है मानचित्र में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाय।                                                                      | प्रस्तावित मोटर मार्ग जिस मुख्य मार्ग से जोड़ा गया है मानचित्र में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है तथा संकेत चिन्ह में भी अंकित किया गया है। |
| 5. | प्रस्तावित मोटर मार्ग में वन पंचायत भूमि प्रभावित हो रही है। प्रस्ताव में संलग्न लैण्ड शैड्यूल में संबंधित वन पंचायत अधिकारी/जिलाधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित हैं। | प्रस्ताव में संलग्न लैण्ड शैड्यूल में संबंधित वन पंचायत संरपंच के हस्ताक्षर करा लिये गये हैं।                                             |
| 6. | ऑनलाईन भरे गये प्रस्ताव के पैरा-।(X) में वन भूमि १००० वर्षों हेतु प्रत्यावर्तित किये जाने की सूचना अंकित की गयी है। स्थिति स्पष्ट करें।                            | ऑनलाईन भरे गये प्रस्ताव के पैरा-।(X) में सूचना सही अंकित कर ली गयी है।                                                                    |
| 7. | प्रस्ताव में ऑनलाईन पार्ट- I, A(III) में प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित नहीं किया गया है। प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित करें।                               | प्रस्ताव में ऑनलाईन पार्ट- I, A(III) में प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित कर लिया गया है।                                                |
| 8. | प्रस्ताव में ऑनलाईन पार्ट- I, A(III) में प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित नहीं किया गया है। प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित करें।                               | प्रस्ताव में ऑनलाईन पार्ट- I, A(III) में प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित कर लिया गया है।                                                |

फाइल नं० २८५१/७२

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.  | प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम सामान्य नाम एवं इंग्लिश नाम सहित व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।                                                                                                                                                           | प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम सामान्य नाम एवं इंग्लिश नाम सहित व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची प्रस्ताव में संलग्न कर लिया गया है। |
| 10. | प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले पेड़ों की गणना 7 मी० एवं 9 मी० ROW में अलग अलग करते हुये कुल प्रभावित पेड़ों की व्यासवार सूची ऑनलाईन अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न करें।                                                                                                                                                           | प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले पेड़ों की गणना 7 मी० एवं 9 मी० ROW में अलग अलग करते हुये कुल प्रभावित पेड़ों की व्यासवार सूची ऑनलाईन अपलोड कर ली गयी है।                    |
| 11. | प्रस्ताव में वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची ऑनलाईन अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न करें।                                                                                                                                                                                                                             | प्रस्ताव में वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची ऑनलाईन अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न कर ली गयी है।                                                        |
| 12. | प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की डी०एस०एस० एनालिसिस की रिपोर्ट अपलोड नहीं की गयी है। उपरोक्त हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 2024/1-42(111) दिनांक 22.02.2022 एवं शासन के पत्रांक 290/X-3-22/5(03) 2019 के द्वारा पूर्व में लिखा गया है। अतः डी०एस०एस० एनालिसिस की रिपोर्ट अपनी संस्तुति सहित प्रस्ताव में अपलोड करने का कष्ट करें। | यह बिन्दु लो०नि०वि० से सम्बन्धित नहीं है।                                                                                                                                   |

अतः अनुरोध है कि विषयक मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में अपने स्तर से अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न :- प्रस्ताव 3 नं०

भवदीय

अधिशाली अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,  
अल्मोड़ा।

पत्रांक / 7सी०

तददिनांकित

प्रतिलिपि-सहायक अभियन्ता(तृतीय), प्रा०ख०, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशाली अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,  
अल्मोड़ा।